

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'साठ'

[ 3/3/2016 ]

प्रश्न सं. [ क. 2114 ]

परिशिष्ट "ए"

डीजल, पेट्रोल व एल.पी.जी. गैस पर वेट की दर

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2114 (अतारांकित)

अनुक्रमांक	वस्तु का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	पेट्रोल	28.75 (01.04.11 से 31.03.12 तक)	27 ( 01.04.12 से प्रभावशील)	27	27 (1.4.2014 से 19.12.2014 तक)	31 (20.12.2014 से) अतिरिक्त कर - 1 रुपये प्रति लीटर (दिनांक 25.11.2015 से 30.12.2016 तक) अतिरिक्त कर - 2 रुपये प्रति लीटर (दिनांक 04.01.2016 से 22.01.2016 तक) अतिरिक्त कर - 3 रुपये प्रति लीटर (दिनांक 23.01.2016 से प्रभावशील)
2.	डीजल (एच. एस. डी.)	23	23	23	23 (1.4.2014 से 19.12.2014 तक) 27 (20.12.2014 से)	27 (20.12.2014 से) अतिरिक्त कर - 50 पैसा प्रति लीटर (दिनांक 04.01.2016 से 22.01.2016 तक) अतिरिक्त कर - 1 रुपये 50 पैसा प्रति लीटर (दिनांक 23.01.2016 से प्रभावशील)

6

3.	डीजल (एल. डी. ओ.)	13	13	13	13	13	14
4.	LPG गैस (घरेलू)	5	5	5	5	5	5
5.	LPG गैस (व्यवसायिक)	13	13	13	13	13	14

दिनांक 01.04.2015 से प्रभावशील।

M/15/2/16  
संचालक  
वाणिज्यिक कर आयुक्त  
मध्यप्रदेश, इंदौर